# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—195/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/195)**

1. घनश्याम दत्तक पुत्र पांचूलाल
2. मंजू पुत्री पांचूलाल पत्नि नोरतमल
   समस्त जाति कुम्हाल निवासी ग्राम जगपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर, हाल निवास जालिया रोड, ब्यावर जिला ब्यावर।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. भगवान पुत्र नारायण जाति भांबी निवासी ग्राम जगपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाघसुरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

**रेस्पोडेंट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 राजस्व वाद संख्या 13/2020**

**उपस्थितः—**

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 अनुपस्थित

## निर्णय

**दिनांकः— 03.12.2025**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध अपीलांट्स उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में विरूद्ध अप्रार्थी अपीलांट एवं कैलाश पुत्र पेमा व गीता पुत्री पेमा जाति कुम्हार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.09.2020 को दर्ज कर अपीलांट एवं कैलाश व गीता को नोटिस जारी किए गए तत्पश्चात दिनांक 16.08.2021 को पुनः नोटिस पेश किए जाने के आदेश प्रदान किए गए तथा दिनांक 22.04.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर कैलाश व गीता

का नाम तर्क किए जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.05.2022 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। तत्पश्चात अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश की जानकारी होने पर एक प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सीपीसी दिनांक 21.09.2022 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अस्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलांट्स को कभी भी व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस तामील नहीं हुआ, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.9.2020 को दर्ज किया गया तत्पश्चात दिनांक 22.4.2022 तक अपीलांट्स को नोटिस तामील नहीं हुए. नोटिस की पुस्त पर आई रिपोर्ट के अनुसार जगदीश अंकित कर उसके नीचे कोष्ठक में घनश्याम की नोटिस की पुस्त पर भाई अंकित कर दिया एवं श्रीमती मंजू के नोटिस की पुस्त पर कोष्ठक में काका अंकित कर दिया तथा नोटिस को तामीलशुदा बता दिया जबकि दिनांक 16.8.2021 से 31.8.2021 तक श्रीमती मंजू अपने ससुराल ब्यावर में निवास कर रही थी तथा घनश्याम दिनांक 16.8.2021 से 31.8.2021 के मध्य ग्राम जगपुरा में निवास कर रहा था लेकिन कोई तामील कुनिन्दा गांव में नहीं आया, नोटिस की पुस्त पर भाई जगदीश अंकित करते हुए तामील दर्शा दी गयी, तामीली की कोई दिनांक अंकित नहीं है ना ही दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा तामीली की जो कार्यवाही अपनाई गयी है वह आदेश 5 सी.पी. सी. में दिये गए प्रावधानों के तहत नहीं होते हुए भी अपीलांट्स मंजू देवी जिसके कि आधार कार्ड में ब्यावर का पता अंकित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मंजू पुत्री पांचूलाल का पता ग्राम जगपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के पते पर तामीली की कार्यवाही की गयी है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा तामीली की कार्यवाही को प्रोपर नहीं कहा जा सकता फिर भी परीक्षण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर त्रुटि की है जो कि काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स की तामीली करवाये गए नोटिसों पर तहसीलदार के ना तो हस्ताक्षर हैं एवं ना ही मोहर अंकित है। तामील कुनिन्दा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत करते हुए अवैधानिक रूप से तामील करवा कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स ने तामील कुनिन्दा द्वारा अवैधानिक कृत्य कारित किए जाने से उसके विरूद्ध धारा 340 सी.आर.पी.सी. व धारा 195 सी. आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही किए जाने एवं विभागीय जांच किए जाने का निवेदन

अपीलांट्स द्वारा किए जाने पर भी तामील कुनिन्दा को गवाह के रूप में तलब किए बिना सरसरी तौर पर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर त्रुटि की है जो कि काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र दर्ज किए जाने के पश्चात सम्पूर्ण आदेशिका में कहीं भी मौका रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश प्रदान नहीं किये हैं फिर भी आई. एल.आर. द्वारा मौका रिपोर्ट धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियम 69 (3) की पालना किए बिना मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट के खातेदारी खसरा नम्बर 47/595 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान किए जाने के आदेश प्रदान कर दिये जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी खेत पर जाने के लिए अलग अलग तीन वैकल्पिक रास्ते थे जिसे आई.एल. आर. द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया तथा मौका रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत करते हुए तैयार कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने मात्र यह कहते हुए कि अपीलांट्स की तामीली अवैधानिक तौर पर किया जाना प्रमाणित नहीं मानते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपने क्षेत्राधिकार को काम में लेने में विफल रहे हैं जो कि त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष कैलाश व गीता जो कि खसरा नम्बर 45 के खातेदार थे की भूमि से भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रास्ता चाहा गया जिसे आगे चलकर अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कैलाश व गीता का नाम तर्क करवा लिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं था क्योंकि प्रार्थना पत्र में उठाये गए तथ्यों की स्थिति में परिवर्तन हो गया था, फिर भी परीक्षण न्यायालय ने ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र पर बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में जाने हेतु तीन अलग–अलग वैकल्पिक रास्ते होने के बावजूद अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 47/595 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान कर त्रुटि की है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में दिनांक 24.05.2022 को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को एकपक्षीय रूप से कार्यवाही करते हुए स्वीकार किया जाकर अपीलांट/अप्रार्थी के खसरा नम्बर 47/595 में से रास्ता दिए जाने के आदेश पारित किए गए। जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.07.2024 को खारिज किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया चूंकि अपीलांट/अप्रार्थी की तामील विधिवत रूप से नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 की मूल अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 को निरस्त कर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें प्रदान किया जा चुका है। अतः अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

7. निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**